


तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रामस्वरूप बनाम राजस्थान सरकार अपील संख्या जीसीएमएस नम्बर 2022 / 156	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17.11.22	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलान्ट अनुपस्थित। प्रकरण में आवाज दिलवाई गई फिर भी अपीलान्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं, प्रकरण में पुनः रूक रूककर कई बार आवाजें दिलवाई गई इसके उपरान्त भी अपीलान्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं है। पत्रावली का अवलोकन किया गया जिससे जाहिर होता है कि प्रकरण माह 4/2022 से एडमिशन में ही विचाराधीन चल रहा है तथा अपीलार्थीगण द्वारा पूर्व में दिनांक 11.10.2022 को अपनी अपील वापस लेने हेतु प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं होने के कारण अपील अपीलान्ट अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।</p> <p>अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा पत्रावली बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;"> (अन्तरसिंह नेहरा) संभागीय आयुक्त जयपुर।</p>	